राजस्थान राज्य

बनाम

ओम प्रकाश

13 जून, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और बी. पी. सिंह, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 - धारा 302 के तहत अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि-उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त की गयी क्योंकि एकल गवाह के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती है, वह भी जब वह मृतक से संबंधित था-अभिनिर्धारित- गवाह की साक्ष्य विश्वसनीय थी-अभियुक्त द्वारा गवाह के बयान में कुछ सुधार किये जाने किये जाने का कोई विशेष परिणाम नहीं होता हैं -साथ ही अभियुक्त का आचरण अत्यधिक संदिग्ध था-इस प्रकार, उच्च न्यायालय का आदेश असमर्थनीय था और उसे अपास्त किया जाता हैं।

नेनूराम **ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसने सुना कि प्रत्यर्थी ओ.पी. ने झगड़े के कारण अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अनुसन्धान किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और खून से सना चाकू और कपडे बरामद किये गए। अभियोजन पक्ष के गवाहों को परीक्षित किया गया। निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा**

करते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया एवं आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत सजा सुनाई। माननीय उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को अपास्त किया क्योंकि एकमात्र गवाह के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती वो भी तब जब वह मृतक से सम्बंधित हो। इसलिए वर्तमान अपील पेश की गयी।

अपीलार्थी-राज्य ने तर्क दिया कि पी-डब्लू-1 के साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी द्वारा अपराध किए जाने को स्थापित किया है; यह नहीं कहा जा सकता है कि एकल गवाह के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि रिश्तेदारों/संबंधितों के साक्ष्य की संपुष्टि की जाना आवश्यक हैं; और यह कि अभियुक्त ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यदि वह घटना के बाद घर में मौजूद था तो वह क्या कर रहा था और उसने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की।

प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने तर्क दिया कि पीडब्लू 1 के बयानों में विरोधाभास, उसके द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाना, साक्ष्य के दौरान किए गए सुधार और किसी भी स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा उसकी उपस्थिति स्थापित नहीं होने के कारण संपुष्टि आवश्यक थी; और प्रकरण में उद्देश्य स्थापित नहीं किया गया हैं।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

1. उच्च न्यायालय का आदेश असमर्थनीय हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त किया जाता हैं और विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि और दंडादेश को पुनः स्थापित किया जाता हैं। [पैरा 13] [1005-ई,एफ]

2.1. हस्तगत प्रकरण में भेदक प्रतिपरीक्षा के बावजूद भी गवाह पीडब्लू-1 के साक्ष्य को धक्का नहीं पहुंचाया जा सका। ऐसा प्रतीत होता हैं कि उच्च न्यायालय ने उसकी साक्ष्य का अपवाद इस आधार पर लिया कि उसने अभियुक्त और मृतक के साथ उसकी गतिविधियों का आलेखीय रूप से वर्णन किया हैं। यह स्पष्ट नहीं हैं कि यह उसकी साक्ष्य को ख़ारिज करने का आधार कैसे हो सकता हैं। उसने केवल प्रासंगिक अवधि के दौरान एक जगह से दूसरी जगह उसकी गतिवधि का वर्णन किया हैं। इसके लिए फोटोजेनिक मेमोरी होना आवश्यक नहीं था जैसा कि उच्च न्यायालय ने अनुमान लगाया है। बल्कि इसके विपरीत ये केवल उन स्थानों का विवरण था जहाँ संबंधित समय पर पीडब्लू-1 ने अभियुक्त और मृतक के साथ उनके साहचर्य में गया था। [पैरा 10] [1004-जी;1005-ए]

2.2. हालाँकि प्रत्यर्थी के वकील ने गवाह के संस्करण में सुधार पर प्रकाश डालने की कोशिश हैं परन्तु इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है। अप्रासंगिक विवरण जो किसी भी तरह से गवाह की विश्वसनीयता को

खराब करते हैं, उन्हें चूक या विरोधाभास नहीं माना जा सकता है। [पैरा 11] [1005-बी]

अनिल फूकन बनाम असम राज्य [1993] 3 एस. सी. सी. 282, को संदर्भित किया गया।

2.3. हालांकि आरोपी ने कटारी का झटका दिया था, परन्तु गवाह को यह नहीं याद कि उसे सीधा मारा गया या तिरछा मारा गया। यह अपने आप में अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक प्रासंगिक कारक है। इसके अलावा आरोपी का आचरण बेहद संदिग्ध था। अगर वह घटना के बाद घर आया तो उसने यह नहीं बताया कि उसने पुलिस में कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्विवाद रूप से मृतक ने घर में ही अंतिम सांस ली थी, यह उसका सामान्य आचरण होता। [पैरा 12] [1005-सी, डी, ई]

कर्नाटक राज्य बनाम के. गोपालकृष्णन, [2005] 9 एससीसी 291, को संदर्भित किया गया।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 722/2001

क्रि. डी. बी. अपील संख्या 454/1993 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 18.12.1998 से.

अपीलार्थी की ओर से नवीन कुमार सिंह और अरुणेश्वर गुप्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से पल्लव शिशोदिया, हेमंत शर्मा और रामबीर सिंह यादव।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे.द्वारा पारित किया गया।

1. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय के विरुद्ध राजस्थान राज्य द्वारा अपील पेश की गयी। प्रत्यर्थी पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 302 के तहत दंडनीय कथित अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नागौर द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अभियुक्त ने उसकी दोषसिद्धि और दंडादेश पर सवाल उठाते हुए अपील की। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपील को स्वीकार कर लिया।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः

नेनूराम नामक व्यक्ति द्वारा दिनांक 14.5.1992 को खींवसर पुलिस थाने में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि उस दिन लगभग 11.00 बजे उसने सुना कि आरोपी ओम प्रकाश ने उसकी पत्नी शिवप्यारी (बाद में 'मृतक' के रूप में संदर्भित) की किसी पुराने झगडे के कारण हत्या कर दी है। अनुसन्धान किया गया। आरोपी

को गिरफ्तार कर लिया गया और अभियोजन शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान अपने मामले को साबित करने के लिए कुछ दस्तावेजों के साथ 22 गवाहों को परीक्षित करवाया जो सम्यक रूप से साबित हुए। मौखिक और दस्तावेजी सबूतों की विवेचना के उपरांत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आरोपी ने धारा 302 भारतीय दंड सहिंता के तहत दंडनीय हत्या की थी। और, इसलिए, उसे उपर्युक्त के अनुसार आजीवन कारावास भुगतने की सजा दी गई।

3. विचारण न्यायालय ने ओम प्रकाश-पीडब्लू-1 के साक्ष्य पर भरोसा किया और उसकी साक्ष्य को ठोस और स्पष्ट पाया गया और ऊपर बताए अनुसार दोषसिद्धि और दंडादेश पारित किया।

4. उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गयी। अपीलार्थी का रुख था कि दोषसिद्धि का आदेश कानूनन अरक्षणीय था क्योंकि अपराध का निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। दोषसिद्धि का आदेश हितबद्ध साक्षी की एकमात्र गवाही पर आधारित है जो मृतक शिवप्यारी का छोटा भाई हैं। और गवाह पीडब्लू 1 ओम प्रकाश की गवाही का समर्थन करने के लिए अभियुक्त के पास से खून में सने चाकू और कपड़ो की बरामदगी के द्वारा संपुष्टि की गयी हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी को संतोषजनक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। तथाकथित विलम्ब के लिए स्पष्टीकरण अभियुक्त के खिलाफ पूरे मामले के मनगढ़ंत

होने की संभावना से इनकार नहीं करता है, जांच बहुत दोषपूर्ण है और सबूत, जैसा कि विद्वान परीक्षण न्यायाधीश ने स्वीकार किया है, हत्या के आरोपी को सुरक्षित रूप से दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। साक्ष्य के उचित स्पष्टीकरण से अपराध में अभियुक्त की भागीदारी को पृथक किया जा सकता हैं और ऐसे साक्ष्य पर दोषसिद्धि विधिक और उचित नहीं हैं। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद घटना स्थल का दौरा किया और परिसर को देखा। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर आरोप लगाया गया कि उसकी स्वप्रेरणा से खून से सना चाकू और कपड़े बरामद किए गए। इन वस्तुओं के योजनबद्ध तरीके से स्थापित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जाँच अधिकारी ने चाकू को आरोपी से न जोड़ने की भारी भूल की है। यह मानते हुए कि चाकू और कपड़े आरोपी की स्वप्रेरणा पर पाए गए थे, केवल खोज ही पर्याप्त नहीं है, जब तक कि यह साबित नहीं किया जाये कि आरोपी के द्वारा चाकू का उपयोग किया गया है। पुलिस चाकू से उंगलियों के निशान का पता लगा सकती थी और आरोपी द्वारा चाकू के उपयोग को या तो साबित या नासाबित कर सकती थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विफलता एक गंभीर कमी है, जो अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के बारे में एक उचित संदेह पैदा करती है और इसलिए,साक्ष्य, जैसा कि स्वीकार किया गया है, दोषसिद्धि के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है।

5. हालांकि, प्राथमिक रुख यह था कि एक एकल साक्षी की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती हैं विशेष रूप से, जब वह मृतक से संबंधित हो। उच्च न्यायालय ने तर्क को स्वीकार कर लिया और निर्धारित किया कि एकमात्र गवाह के मामले में, और जब वह मृतक से संबंधित है, संपुष्टि आवश्यक है।

6. अपील के समर्थन में, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि पीडब्लू-1 के साक्ष्य ने प्रत्यर्थी द्वारा अपराध किए जाने को स्पष्ट रूप से स्थापित किया। ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह अपनी बहन की मृत्यु के बाद अपने बहनोई के खिलाफ झूठा बयान दे। उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट निर्णय इस आशय के कानून को प्रस्तावित नहीं करते कि एकल गवाह के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है और यह भी नहीं करते कि रिश्तेदारों के साक्ष्य को संपुष्टि की आवश्यकता है। आरोपी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अगर वह घटना के बाद घर में मौजूद था तो वह क्या कर रहा था। उसने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। उनका आचरण भी प्रासंगिक है।

7. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि यद्यपि उच्च न्यायालय का तर्क विस्तृत नहीं है, लेकिन निष्कर्ष सही है। उनके अनुसार, पीडब्लू 1 के बयानों में विरोधाभास, उसके द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाना, साक्ष्य के दौरान किए गए सुधार और किसी

भी स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा उनकी उपस्थिति स्थापित नहीं होने के कारण संपुष्टि आवश्यक थी;अंत में यह कि उद्देश्य स्थापित नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने अनिल फूकन बनाम असम राज्य [1993] 3 एस. सी. सी. 282 मामले के निर्णय पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए भरोसा किया कि संपुष्टि आवश्यक थी क्योंकि यह ऐसा मामला था जिसमे एकल गवाह द्वारा अभियोजन पक्ष और गवाहों के संबंध का समर्थन किया गया।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय की टिप्पणी को गलत तरीके से पढ़ा है। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैंः

> एकल प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती हैं और अगर एकल गवाह विश्वसनीयता के परीक्षण में सफल रहता हैं तो विधि में ऐसा कोई नियम नहीं हैं जो इसके विपरीत कथन करता हो। जब तक एकल प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य विश्वसनीय हैं तब तक उसके एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि करने में कोई कठिनाई नहीं हैं। परन्तु जहाँ यह प्रतीत होता हैं कि एकल प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य पूर्णत: विश्वसनीय नहीं हैं, कुछ परिस्थितियाँ हैं जो यह दर्शाती हैं उसकी अभियोजन में रुचि है, ऐसे में न्यायालय दोषसिद्धि से पूर्व विशेष तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि पर जोर देते हैं। एकल प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य पूर्णत: तब खारिज की जाती

हैं, जब एकल प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य पूर्णत: अविश्वसनीय हैं और स्वतंत्र पुष्टि भी इस दोष को ठीक नहीं कर सकती।

9. फिर से उसी निर्णय में इस प्रकार उल्लेख किया गया:

> अगर गवाह की साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद प्रतीत होती हैं तो केवल उसका मृतक से सम्बंधित होना उसकी साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता हैं। घटनाओं के सामान्य क्रम में कोई करीबी, वो अंतिम व्यक्ति होगा जो वास्तविक हमलावर को छोड़कर किसी अन्य को झूठा फंसायेगा। हालाँकि, इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वह असली हमलावर के साथ साथ किसी निर्दोष व्यक्ति को भी फंसा दे इसलिए, विवेकपूर्ण तरह से न्यायालय को, अपराध में अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता को निर्धारित करने के लिए ऐसी गवाही की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करवानी चाहिए।

10. हस्तगत प्रकरण में भेदक प्रतिपरीक्षा के बावजूद भी गवाह पीडब्लू-1 के साक्ष्य को धक्का नहीं पहुंचाया जा सका। ऐसा प्रतीत होता हैं कि उच्च न्यायालय ने उसकी साक्ष्य का अपवाद इस आधार पर लिया कि उसने अभियुक्त और मृतक के साथ उसकी गतिविधियों का आलेखीय रूप से वर्णन किया हैं। यह स्पष्ट नहीं हैं कि यह उसकी साक्ष्य को ख़ारिज

करने का आधार कैसे हो सकता हैं। उसने केवल प्रासंगिक अवधि के दौरान एक जगह से दूसरी जगह उसकी गतिवधि का वर्णन किया हैं। इसके लिए फोटोजेनिक मेमोरी होना आवश्यक नहीं था जैसा कि उच्च न्यायालय ने अनुमान लगाया है। बल्कि इसके विपरीत ये केवल उन स्थानों का विवरण था जहाँ संबंधित समय पर पीडब्लू-1 ने अभियुक्त और मृतक के साथ उनके साहचर्य में गया था।

11. इस मोड़ पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालाँकि प्रत्यर्थी के वकील ने गवाह के संस्करण में सुधार पर प्रकाश डालने की कोशिश हैं परन्तु इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है। अप्रासंगिक विवरण जो किसी भी तरह से गवाह की विश्वसनीयता को खराब करते हैं, उन्हें चूक या विरोधाभास नहीं माना जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि पीडब्लू-1 की प्रतिपरीक्षा में गवाहों को निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे:

> "आज मुझे याद नहीं है कि अभियुक्त ने कटारी को तिरछा चलाया था या सीधा।"

12. इस प्रश्न का सार यह प्रतीत होता हैं कि हालांकि आरोपी ने कटारी का झटका दिया था, परन्तु गवाह को यह नहीं याद कि उसे सीधा मारा गया या तिरछा मारा गया। यह अपने आप में अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक प्रासंगिक कारक है। इसके अलावा आरोपी का आचरण बेहद संदिग्ध था। अगर वह

घटना के बाद घर आया तो उसने यह नहीं बताया कि उसने पुलिस में कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्विवाद रूप से मृतक ने घर में ही अंतिम सांस ली थी, यह उसका सामान्य आचरण होता। अभियुक्त के अप्राकृतिक आचरण के अभियोजन पक्ष के संस्करण को बल देने के प्रभाव को इस न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णय *कर्नाटक राज्य बनाम के गोपालकृष्ण [2005] 9 एससीसी 291* में प्रकाश डाला गया है।

13. किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो उच्च न्यायालय का आदेश असमर्थनीय हैं और अपास्त किया जाता हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त किया जाता हैं और विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि और दंडादेश को पुनः स्थापित किया जाता हैं।

14. अपील स्वीकार की गयी।

एन.जे.

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हिमानी जैन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।